बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है श्री बीरेन्द्र कुमार तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत पैक्स निर्वाचन में अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है । यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1)(i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है।

अतएव बिहार राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि श्री बीरेन्द्र कुमार तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री आनन्द कुमार सिन्हा, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

3. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान निबंधक, सहयोग समितियाँ बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

आदेश : – आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी/ श्री आनन्द कुमार सिन्हा, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री बीरेन्द्र कुमार तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :......................................./ पटना, दिनांक :..................................
08/नि०को०(रा०)विभागीय–709/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :......................................./ पटना, दिनांक :...............................
08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–709/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री आनन्द कुमार सिन्हा, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :......................................./ पटना, दिनांक :...............................
08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–709/2015

निबंधित

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री बीरेन्द्र कुमार तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :......................................./ पटना, दिनांक :...............................
08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–709/2015

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उनके पत्रांक–3005/सी॰, दिनांक–29.09.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :.........289........./ पटना, दिनांक :25.01.17
08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–709/2015

प्रतिलिपि :– ~~उप सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/~~आई॰टी॰ मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

२५-१-१७

24.1.17
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

आरोप–पत्र

(प्रपत्र–'क')

1. आरोपित पदाधिकारी का नामः– श्री वीरेन्द्र कुमार
2. पदनाम :– तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद
3. वेतनमान/ग्रेड पे :– 15,600–39,100/– + ग्रेड पे–6600/–
4. समूह :– 'क'
5. जन्म तिथि :– 07.07.1969
6. सेवा निवृत्ति की तिथि :– 31.07.2029
7. आरोप/लांछन का अभिकथनः–

क्र॰ सं॰	आरोप	आरोप का विवरण	साक्ष्य
1	2	3	4
1.	निर्वाचन कार्य में कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतना।	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–105 दिनांक–14.01.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–687 दिनांक–07.07.2015 द्वारा पैक्स के रिक्त पदों का उप निर्वाचन–2015 कराया जाना था, जिसमें सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी सदर अनुमंडल के रून्नीसैदपुर, डुमरा, बथनाहा, परिहार एवं मेजरगंज तथा पुपरी अनुमंडल के चोरौत एवं सुरसंड प्रखण्ड में दिनांक–18.08.2015 को निर्धारित था। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक–546 दिनांक–04.04.2015 की कंडिका 06 (III) के अनुसार समिति द्वारा समर्पित मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच जिला सहकारिता पदाधिकारी के रूप में आपको करनी थी तथा जाँचोपरान्त नियमानुसार प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ मतदाता सूची दिनांक–19.06.2015 तक संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना था। जिला सहकारिता पदाधिकारी के रूप में आपकी यह भी जिम्मेवारी थी कि मतदाता सूची में दी गयी जानकारी की जाँच कर उसका सत्यापन आपके द्वारा किया जाय, परन्तु परिहार प्रखंड अन्तर्गत पैक्स उप चुनाव, 2015 के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूची को आपके द्वारा सत्यापन एवं उसके प्रत्येक पृष्ट पर बिना हस्ताक्षर किए ही मतदाता सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार को भेज दी गयी। उपर्युक्त विन्दु पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक–1175 दिनांक–13.08.2015 द्वारा आपसे मार्गदर्शन की माँग की गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के संदर्भ में आपका दायित्व था कि आप आयोग के दिशानिर्देश के आलोक में उठाये गये विन्दुओं पर जाँचोपरान्त विधिसम्मत् कार्रवाई अपने स्तर से कर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार द्वारा याचित मार्गदर्शन निर्वाचन से	1. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–105 दिनांक–14.01.16 2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पत्रांक–687 दिनांक–07.07.2015 की छायाप्रति संलग्न बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–546 दिनांक–04.04.2015 की छायाप्रति। 3. प्रखंड विकास पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक–1175 दिनांक–13.08.2015 की जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–823 दिनांक–14.08.2015 की छायाप्रति। 4. त्रिस्तरीय जाँच दल के पत्रांक–1607/सी॰ दिनांक–19.08.2015 की छायाप्रति।

		पूर्व उन्हें संसूचित कर देते। परन्तु आपके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पत्रांक–823 दिनांक–14.08.2015 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन की माँग की गयी जो अल्प समय में प्राप्त नहीं हो सका। आपके मार्गदर्शन के अभाव में प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार को पुराने मतदाता सूची के आधार पर नरंगा पैक्स का निर्वाचन सम्पन्न कराना पड़ा जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप उक्त नरंगा दक्षिणी पैक्स निर्वाचन–2015 स्थगित करना पड़ा। इस संदर्भ में त्रिस्तरीय जाँच दल का गठन कर जाँच करायी गयी है। जाँच दल से उनके पत्रांक–1607/सी॰ दिनांक–19.08.2015 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उपर्युक्त पैक्स निर्वाचन–2015 सम्पन्न नहीं होने के लिए आपकी एवं प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, परिहार को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। उपर्युक्त परिस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने कर्त्तव्य के पालन में शिथिलता एवं लापरवाही बरती गयी है। आपका यह आचरण सरकारी सेवक नियमावली के नियमों के प्रतिकूल है, जिसके लिए आप दोषी हैं।	

24.1.17

24.1.17

(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।